भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1013

28 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

इथेनॉल विनिर्माताओं को आपूर्ति किया गया चावल

1013. श्री अशोक सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान जून, 2026 तक एफसीआई के गोदामों से इथेनॉल संयंत्रों को भेजे गए चावल की राज्य-वार कुल मात्रा और कीमत कितनी है;

(ख) इथेनॉल संयंत्रों को बेचे जाने वाले ऐसे चावल का प्रति क्विंटल औसत विक्रय मूल्य, उसकी औसत खरीद लागत की तुलना में कितना है;

(ग) क्या इथेनॉल विनिर्माताओं के लिए आपूर्ति किए गए चावल की खरीद पर इथेनॉल उत्पादकों को कोई राजसहायता दी जा रही है, यदि हाँ, तो उत्त अवधि में दी गई राजसहायता की कुल राशि कितनी है; और

(घ) क्या सरकार को इथेनॉल उत्पादन के लिए निर्धारित चावल और ऐसे खाद्यान्नों की हेराफेरी की घटनाओं के बारे में जानकारी है या कोई रिपोर्ट मिली है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जून 2025 से जून 2026 की अवधि के दौरान एफसीआई के भांडागारों से इथेनॉल संयंत्रों को भेजे गए चावल की राज्यवार कुल मात्रा और मूल्य **अनुबंध** में है।

(ख): खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] नीति के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल डिस्टिलरियों को बेचे जाने वाले चावल का मूल्य निम्नानुसार है:

जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक- 2250 रुपये प्रति क्विंटल

नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक - 2320 रुपये प्रति क्विंटल

नवंबर 2026 से जून 2027 तक - 2390 रुपये प्रति क्विंटल

...2/-

एफसीआई द्वारा खरीदे गए चावल की अखिल भारतीय औसत अधिग्रहण लागत निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	औसत अधिग्रहण लागत (रुपये प्रति क्विंटल में)
2024-25	3,719.72
2025-26 (संशोधित अनुमान)#	3889.46

वित्तीय वर्ष 2025-26 के खातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग): चावल को ओएमएसएस (डी) नीति में निर्धारित मूल्य पर इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल डिस्टिलरियों को बेचा जाता है। इथेनॉल उत्पादन के लिए आपूर्ति किए गए चावल की खरीद के लिए इथेनॉल उत्पादकों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

(घ):सरकारी एजेंसियों ने इथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित एफसीआई चावल की हेराफेरी की दो घटनाओं का पता लगाया है और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों डिस्टिलरियों द्वारा चावल की खेपों के संचलन में अनियमितताओं का पता चलने के बाद, राज्य खाद्य विभागों ने आवश्यक कार्रवाई की है। एफसीआई ने भी इन डिस्टिलरियों को चावल का आगे और आवंटन बंद कर दिया है।

अनुबंध

राज्यसभा में दिनांक 28.07.2026 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1013 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

जून 2025 से जून 2026 की अवधि के दौरान एफसीआई के भांडागारों से इथेनॉल संयंत्रों को भेजे गए चावल की राज्यवार कुल मात्रा और मूल्य का विवरण:

क्षेत्र	कुल उठान (टन में)	चावल का कुल मूल्य (करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	354,648	818.04
असम	293,907	676.72
बिहार	281,438	650.19
छत्तीसगढ	243,328	560.76
गुजरात	204,635	470.79
हरियाणा	844,141	1,949.75
जम्मू	700	1.62
झारखंड	369,464	843.72
कर्नाटक	237,767	545.09
मध्य प्रदेश	432,485	989.98
महाराष्ट्र	154,797	352.65
ओडिशा	181,949	419.93
पंजाब + हिमाचल प्रदेश प्रदेश	658,952	1,513.24
राजस्थान	144,579	330.71
तमिलनाडु	149,867	342.86
तेलंगाना	237,702	548.81
उत्तर प्रदेश	838,645	1,932.36
उत्तराखंड	136,236	308.92
पश्चिम बंगाल	584,672	1,340.66
कुल	**6,349,912**	**14,596.78**
